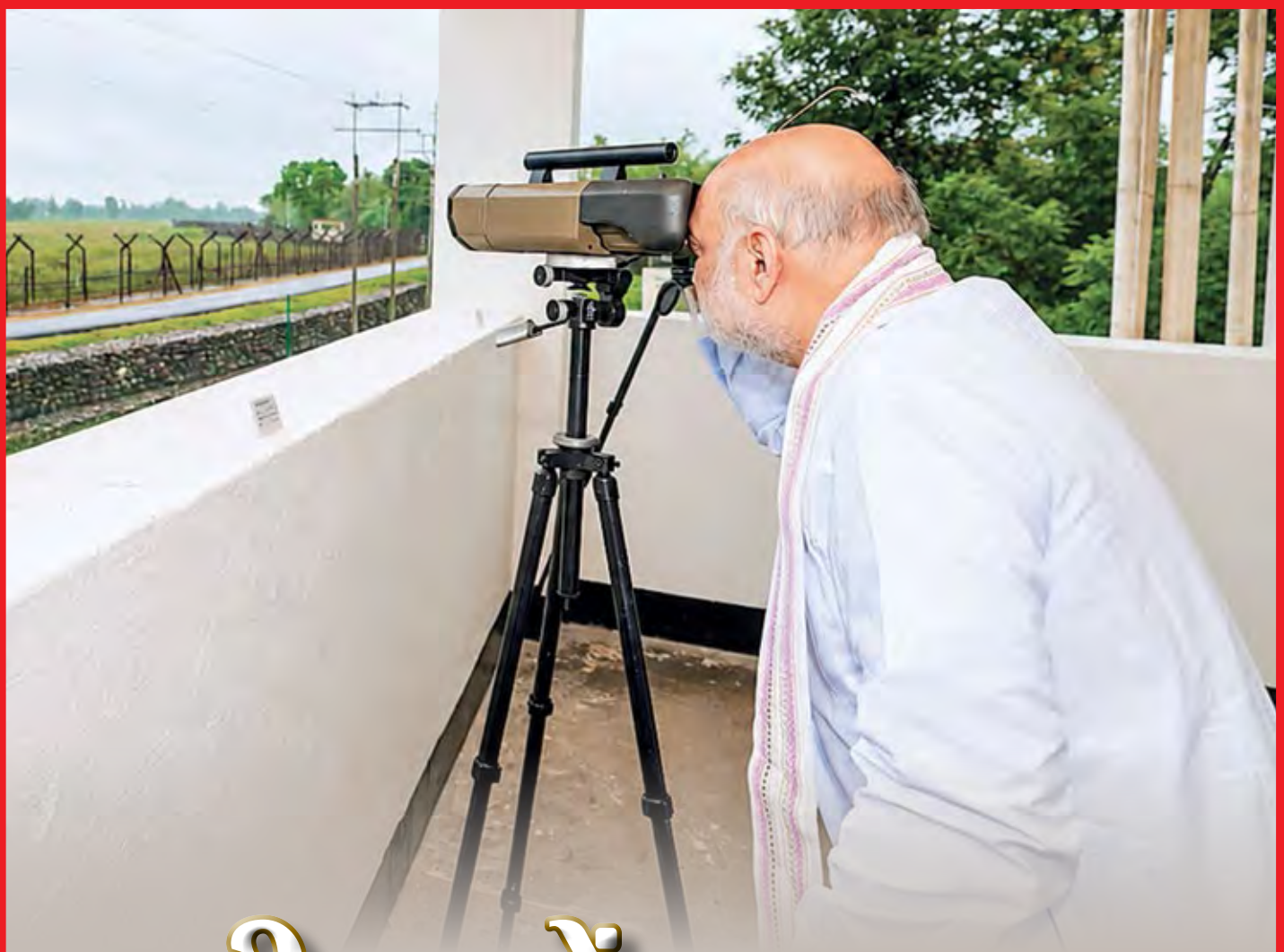
◂ 16-31, जुलाई 2026 ◂ वर्ष : 4 ◂ अंक : 8

शांति, सुरक्षा और समृद्धि

सजग भारत

निःशुल्क प्रति



सीमाओं की सुरक्षा में स्वदेशी तकनीक

विकसित गांव भी हैं विकसित भारत की नींवः श्री नरेन्द्र मोदी

सीमावर्ती अतिक्रमण हटाने और पुलिस आधुनिकीकरण पर जोर

ओंकार से AI तक भारत की भाषा यात्रा को दर्शाता है शब्द संग्रहालय

अनुक्रमणिका



विकसित गांव हैं विकसित भारत की नींवः श्री नरेन्द्र मोदी 12



10 सीमावर्ती अतिक्रमण हटाने और पुलिस आधुनिकीकरण पर जोर



विकसित भारत को बढ़ावा 15



राष्ट्रपति भवन में पहली बार बस्तर की संस्कृति के रंग 18



छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर सरकार सख्त, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा 19

सीमा-पार मादक पदार्थों की तस्करी पर सरकार सख्त 20
सुरक्षा से विज्ञान तकः 'विकसित भारत' के नए आयाम 21
सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और खेल शक्तिः बदलते भारत की नई तस्वीर 22
न्याय संहिता से न्याय प्रक्रिया को मिली नई गति, तकनीक और साक्ष्य-आधारित पुलिसिंग से बढ़ी त्वरित दोषसिद्धि 24
भारत की सीमा सुरक्षा को नई परिभाषा दे रही तकनीक 26

सीमाओं की सुरक्षा में स्वदेशी तकनीक

आवरण कथा



06

अनुक्रमणिका

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेनः 'मेक इन इंडिया' की ऐतिहासिक उपलब्धि



14

ओंकार से AI तक भारत की भाषा यात्रा को दर्शाता है शब्द संग्रहालय



16

सोशल मीडिया से...



हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गौरवान्वित हूं। स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी यह ट्रेन न केवल भारत की तकनीकी क्षमता का प्रतीक है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक मिसाल है।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री



जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पहले की सरकारों में घुसपैठ का गलियारा बन गया था, वह अब सुरक्षित सीमा का पर्याय बन रहा है। मोदी सरकार ने न केवल सीमाओं पर वॉच टावरों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इन्हें अत्याधुनिक तकनीक से लैस कर सीमा सुरक्षा को और अधिक मजबूत एवं अभेद्य बनाया है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री



कारगिल के रणबांकुरों की वीरगाथाएं सदैव देश के युवाओं में राष्ट्रसेवा, साहस और समर्पण की भावना का संचार करती रहेंगी।

श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री



सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा खतरों के खिलाफ देश की रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में खड़ी है।

श्री बंडी संजय कुमार
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री



केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में एमसीडी और एनडीडीबी ने दिल्ली में गोबर के समुचित उपयोग के लिए कंप्रेस्ड बायो-गैस प्लांट्स की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

गृह मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक की कलम से...



आलोक मित्तल
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का दौरा और कर्मियों के कल्याण तथा तकनीकी अपग्रेडेशन पर उनका बार-बार जोर देना, एक संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को लगातार प्राथमिकता देकर और स्वदेशी नवाचार पर जोर देकर, सरकार ने दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता, दोनों का परिचय दिया है।

भारत की विशाल और विविधतापूर्ण सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना घुसपैठ, तस्करी और बदलते सीमा-पार खतरों के बीच एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी हुई है। ऐसे समय में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा सिलीगुड़ी के जूमागाछ सीमा चौकी पर उन्नत स्वदेशी तकनीकों का निरीक्षण विशेष महत्व रखता है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने रेडियो आधारित फेंस ब्रीच डिटेक्शन सिस्टम जैसी महत्त्वपूर्ण प्रणालियों का निरीक्षण किया। यह प्रणाली पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेशों के माध्यम से सुरक्षा कर्मियों को तुरंत अलर्ट करती है। इसके अलावा, उन्होंने इन्फ्रा-रेड अलार्म सिस्टम की कार्यप्रणाली भी देखी, जिसे दुर्गम नदी क्षेत्रों और बाड़ में मौजूद अंतराल वाले स्थानों की निगरानी के लिए विकसित किया गया है। ये प्रदर्शन महज अलग-अलग तकनीकों का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि सीमा प्रबंधन की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने तकनीक आधारित सीमा प्रबंधन की दिशा में व्यवस्थित रूप से कदम बढ़ाया है, ताकि उन लंबे समय से चली आ रही कमजोरियों को दूर किया जा सके, जिनका समाधान केवल पारंपरिक तरीकों से पूरी तरह संभव नहीं था।

सरकार अत्याधुनिक स्वदेशी उपकरणों, जैसे कि एडवांस्ड सेंसर, सर्विलांस टूल एवं ऑटोमेटेड अलर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके, सीमा के सबसे मुश्किल इलाकों में भी रियल-टाइम निगरानी और तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता सुनिश्चित कर रही है। यह तकनीकी तरीका 'स्मार्ट बॉर्डर' पहल और 'चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड' की रीढ़ है, जो सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों, स्थानीय प्रशासन, राज्य पुलिस तथा समुदाय की सतर्कता के प्रयासों को एक साथ लाता है।

इस तकनीकी बदलाव के कई स्पष्ट लाभ सामने आए हैं। इससे खतरों की पहचान अधिक सटीक और प्रभावी होती है, प्रतिक्रिया देने में लगने वाला समय कम होता है, उपलब्ध मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होता है और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तैनात जवानों की सुरक्षा भी मजबूत होती है। साथ ही, यह तकनीक ड्रोन के जरिए घुसपैठ और तस्करी के जटिल नेटवर्क जैसे उभरते खतरों से निपटने में भी मददगार है। केंद्र सरकार ने इस तकनीक-आधारित दृष्टिकोण को ठोस पहलों के माध्यम से आगे बढ़ाया है। इसी दिशा में सीमा सुरक्षा बल से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स को गति दी गई है, जिनमें पश्चिम बंगाल में 04 किलोमीटर लंबी नई सीमा बाड़ का निर्माण भी शामिल है।

श्री अमित शाह का दौरा और कर्मियों के कल्याण तथा तकनीकी अपग्रेडेशन पर उनका बार-बार जोर देना, एक संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को लगातार प्राथमिकता देकर और स्वदेशी इनोवेशन पर जोर देकर, सरकार ने दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता, दोनों का परिचय दिया है।

'सजग भारत' के इस अंक में सीमा सुरक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक के उपयोग को लेकर केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता और प्रयासों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यह अंक भारत की संप्रभुता और भविष्य की सुरक्षा के लिए अभेद्य सीमाएं तैयार करने के सरकार के संकल्प को भी रेखांकित करता है। हमें उम्मीद है कि हमारे पाठकों को यह अंक उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगेगा।

पाठक हमसे sajag-bharat@bprd.nic.in पर संपर्क कर सकते हैं।

जय हिंद!



सीमाओं की सुरक्षा में स्वदेशी तकनीक

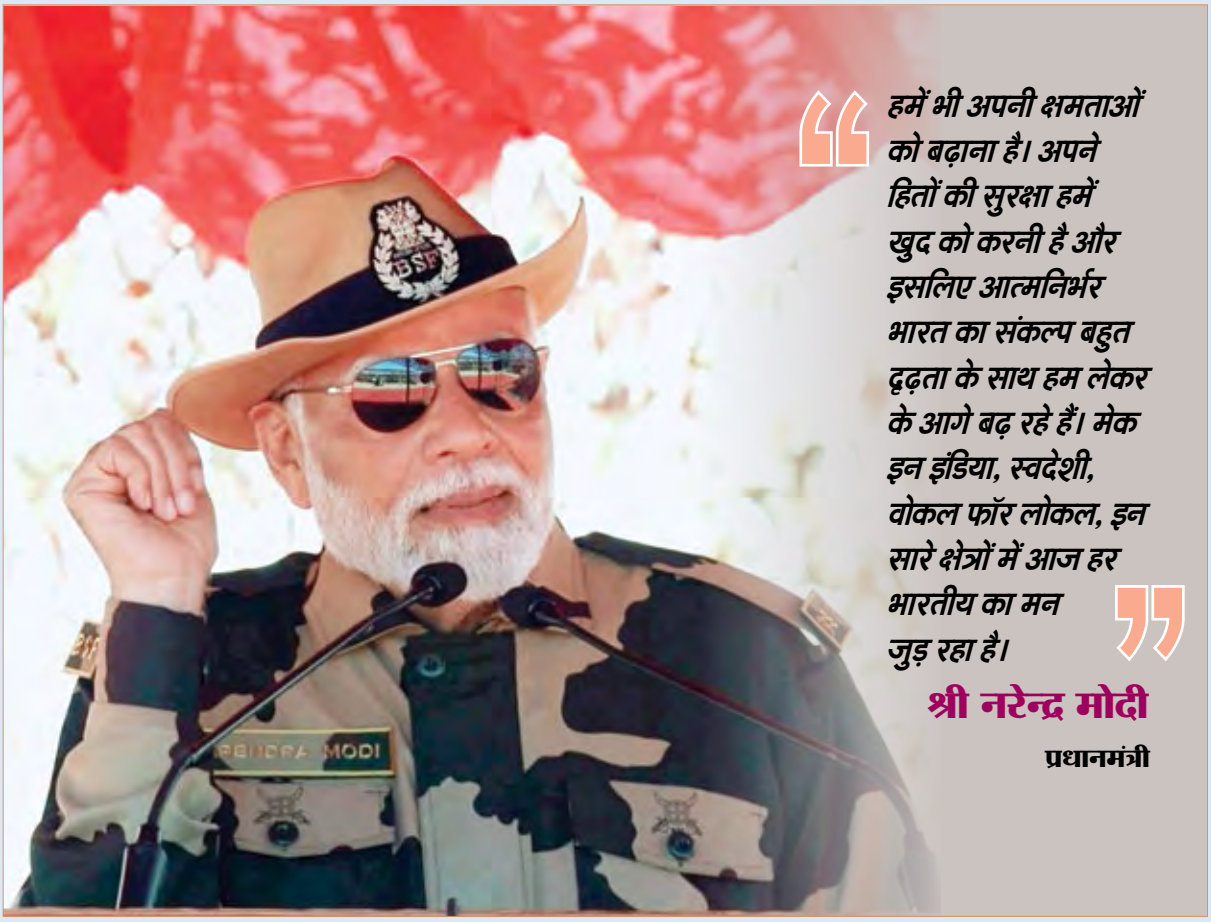
- **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए विकसित स्वदेशी और अत्याधुनिक तकनीकों का निरीक्षण किया।**
- **सरकार स्मार्ट बॉर्डर के कॉन्सेप्ट के साथ सीमाओं को चाकचौबंद बनाने के लिए चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड का निर्माण कर रही है।**
- **श्री अमित शाह ने रेडियो-आधारित फेंस ब्रीच डिटेक्शन (सीमा बाड़ में सेंध का पता लगाने वाली) प्रणाली का भी निरीक्षण किया। यह प्रणाली सीमा पर लगी बाड़ के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होते ही पूर्व-रिकॉर्ड किया गया संदेश प्रसारित कर सुरक्षा बलों के जवानों को तत्काल सतर्क कर देती है।**

ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है। सरकार का स्पष्ट और सतत प्रयास भारत की सीमाओं को अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित अभेद्य सुरक्षा कवच में बदलना है। रेडियो-आधारित फेंस ब्रीच डिटेक्शन सिस्टम, इन्फ्रारेड अलार्म और एकीकृत सुरक्षा ग्रिड जैसी स्वदेशी एवं अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से पारंपरिक निगरानी व्यवस्था का स्थान आधुनिक, तकनीक-संचालित सुरक्षा प्रणाली ले रही है, जो बदलते सीमा-पार खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम है। यह परिवर्तन 'स्मार्ट बॉर्डर्स' की उस परिकल्पना पर आधारित है, जिसमें प्रौद्योगिकी, मजबूत बुनियादी ढांचा और सीमा सुरक्षा बल मिलकर देश की प्रत्येक सीमा की प्रभावी और सुदृढ़ सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

तकनीक का बढ़ता प्रयोग

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 18 जुलाई, 2026 को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित जूमागाछ बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा कर सीमा सुरक्षा को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। इस अवसर पर उन्होंने सीमा प्रबंधन को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए विकसित विभिन्न स्वदेशी एवं अत्याधुनिक तकनीकों का अवलोकन किया। रेडियो-आधारित निगरानी प्रणालियों से लेकर उन्नत सुरक्षा उपकरणों तक, इन तकनीकों का उद्देश्य सीमाओं की चौकसी को अधिक सटीक,



> *हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है।*
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी**
> **प्रधानमंत्री**

त्वरित और भरोसेमंद बनाना है। यह पहल केंद्र सरकार की 'स्मार्ट बॉर्डर' परिकल्पना का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके तहत आधुनिक प्रौद्योगिकी, मजबूत अवसंरचना और सीमा सुरक्षा बलों के समन्वय से देश की सीमाओं को तकनीकी रूप से सक्षम, अभेद्य और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप सुरक्षित बनाया जा रहा है।

श्री अमित शाह ने रेडियो-आधारित फेंस ब्रीच डिटेक्शन सिस्टम का निरीक्षण किया। यह सिस्टम सीमा की बाड़ के साथ छेड़छाड़ होते ही पहले से रिकॉर्ड किया गया संदेश प्रसारित करके जवानों को तुरंत सतर्क कर देता है। उन्होंने इन्फ्रारेड अलार्म सिस्टम की भी समीक्षा की, जिसे खास तौर पर नदियों वाले इलाकों और बिना बाड़ वाली जगहों जैसे दुर्गम इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। इन्फ्रारेड बीम के टूटने या उसमें रुकावट आने पर यह सिस्टम तुरंत जवानों को चेतावनी भेजता है। इसके अलावा, भारत-बांग्लादेश सीमा पर आम नागरिकों तथा किसानों की सुरक्षित और आसानी से आवाजाही के लिए बनाए गए गेट मैनेजमेंट सिस्टम की भी समीक्षा की गई। ये सभी सिस्टम सीमा के सबसे कठिन और संवेदनशील इलाकों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल को दिखाते हैं।

नई सीमा फेंसिंग परियोजनाओं की आधारशिला

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से सीमा सुरक्षा बल की लगभग ₹47 करोड़ लागत वाली तीन महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें पश्चिम बंगाल में दो सीमा चौकियों के लिए नई भूमि पर लगभग ₹30 करोड़ की लागत से चार किलोमीटर लंबी अत्याधुनिक सीमा फेंसिंग का निर्माण भी शामिल है। यह पहल देश की सीमाओं को और अधिक सुरक्षित, सुदृढ़ तथा तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की प्राथमिकता को दर्शाती है।

इसी क्रम में 1,610 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर लगभग ₹31,000 करोड़ की लागत से व्यापक फेंसिंग परियोजना भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। इसे भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था के सबसे महत्त्वपूर्ण अवसंरचनात्मक अभियानों में से एक माना जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रॉक्सी युद्ध, घुसपैठ, उग्रवाद एवं कट्टरपंथ, मादक पदार्थों और अन्य वस्तुओं की तस्करी, ड्रोन आधारित खतरों, साइबर अपराध, संगठित अपराध तथा अनियंत्रित जनसांख्यिकीय परिवर्तनों जैसी चुनौतियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। साथ ही,



केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सिलीगुड़ी में जूमागाछ सीमा चौकी पर जवानों के साथ प्रहरी सम्मेलन में शामिल हुए।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं और आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ कर उन्हें अधिक रहने योग्य बनाना तथा पलायन की प्रवृत्ति को कम करना भी इस परियोजना का प्रमुख लक्ष्य है।

दौरे के दौरान श्री अमित शाह ने सीमा क्षेत्र में स्थित एक वॉच टावर का निरीक्षण किया, वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया तथा 'प्रहरी सम्मेलन' के माध्यम से सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो के निदेशक और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक सहित कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

'क्वाड्रैंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड' की प्रायोगिक परियोजना सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में शुरू होगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार सीमाओं को मजबूत करने के लिए एक मजबूत 'क्वाड्रैंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड' (चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड) बना रही है। इस विजन के केंद्र में 'स्मार्ट बॉर्डर' की अवधारणा का उल्लेख करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ को रोकने और संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों को सुरक्षित करने के लिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 'क्वाड्रैंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड' को सबसे पहले पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी लंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों और उनके परिवारों का कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर एक बैठक की अध्यक्षता की और साथ ही राज्य में 'न्याय संहिता' तथा जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रणाली के कार्यान्वयन की अलग से समीक्षा भी की।

अत्याधुनिक तकनीकें

- रेडियो-आधारित फेंस ब्रीच डिटेक्शन सिस्टम: छेड़छाड़ होने पर पहले से रिकॉर्ड किए गए अलर्ट प्रसारित करता है
- इन्फ्रारेड अलार्म सिस्टम: नदी वाले इलाकों और बिना बाड़ वाली जगहों जैसे मुश्किल इलाकों को कवर करता है
- गेट मैनेजमेंट सिस्टम: भारत-बांग्लादेश सीमा पर नागरिकों और किसानों की सुरक्षित आवाजाही को संभव बनाता है

सीमा बाड़ पर एक दृष्टि

- पश्चिम बंगाल में दो सीमा चौकियों के लिए नई अधिग्रहित जमीन पर ₹30 करोड़ की लागत से 04 किलोमीटर लंबी सीमा बाड़ बनाई जा रही है
- ₹31,000 करोड़ की लागत से 1,610 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाई जा रही है
- यह देश की सीमा सुरक्षा के इतिहास में सबसे महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है
- यह कमजोर और संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों को भौतिक रूप से सुरक्षित बनाने के सरकार के बड़े राष्ट्रव्यापी प्रयास का हिस्सा है

स्मार्ट बॉर्डर पर निरंतर ध्यान

सिलीगुड़ी का यह दौरा सीमा सुरक्षा को आधुनिक, तकनीक-संचालित और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे निरंतर कदमों की श्रृंखला का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने विभिन्न बैठकों, सम्मेलनों और सीमा क्षेत्रों के दौरों के माध्यम

से स्पष्ट किया है कि सरकार का लक्ष्य भारत की सीमाओं को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप एक अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्र से सुसज्जित करना है।

इसी क्रम में 09 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 'सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन-2026' को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा था कि यह सम्मेलन सीमा सुरक्षा के लिए एक समग्र और संस्थागत दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि इस परिवर्तन की आधारशिला सीमा सुरक्षा बलों, राज्य एवं जिला प्रशासन, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों के बीच घनिष्ठ समन्वय है। इन सभी की सहभागिता से एक सुदृढ़ 'चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड' विकसित किया जा रहा है, जो सीमा प्रबंधन को अधिक समन्वित, उत्तरदायी और प्रभावी बनाएगा। श्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज—ये तीनों मिलकर ही राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि भारत की सीमा सुरक्षा नीति अब केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं है, बल्कि संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाकर उन्हें समय रहते निष्प्रभावी करने वाली सक्रिय रणनीति की ओर अग्रसर है।

इससे पहले, 05 जून,2026 को त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल की लंकामुरा बॉर्डर आउटपोस्ट के दौरे के दौरान श्री अमित शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार ने उन सभी जगहों पर स्मार्ट बॉर्डर विकसित करने का फैसला किया है जहां सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल तैनात हैं।

बीकानेर में 26 मई 2026 को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की सांचू पोस्ट पर श्री अमित शाह ने वर्ष 2014 के बाद से भारत की सुरक्षा व्यवस्था में आए बदलावों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों और सीमा सुरक्षा बल का लगातार आधुनिकीकरण हो रहा है और सरकार आतंकवादियों की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की सख्त नीति अपनाती है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ को पूरी तरह रोकना सरकार की जिम्मेदारी है और इसे चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड के जरिए हासिल किया जा सकता है। उन्होंने सीमा पार से आने वाले खतरों के प्रति लगातार सतर्क रहने और देश के अंदर अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने पर भी जोर दिया।

तीन दिन बाद 29 मई को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने गुजरात के भुज में दो नई सीमा चौकियां शुरू कीं। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है, जिसमें जनता, नागरिक प्रशासन, स्थानीय पुलिस, सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवान मिलकर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि 'स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट' के अंतर्गत सरकार ड्रोन, रडार, वॉचटावर और आधुनिक निगरानी तकनीक के जरिए सीमाओं पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि तकनीक और जवानों का यह मेल एक ऐसा मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाएगा कि कोई भी भारत की सीमाओं में घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा।



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार सीमाओं को मजबूत करने के लिए एक चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड स्थापित कर रही है।

श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

आगे की दिशा

जैसे-जैसे भारत तस्करी के जटिल नेटवर्क और घुसपैठ जैसी बदलती चुनौतियों का सामना कर रहा है, सरकार की रणनीति तकनीक, मानव संसाधन, प्रशासनिक तालमेल और समुदाय की भागीदारी को एक साथ लाने पर आधारित है। जूमागाछ में दिखाए गए सिस्टम उस भविष्य की एक झलक हैं जहां सीमाओं की न केवल सुरक्षा की जाएगी, बल्कि उनकी समझदारी से निगरानी की जाएगी और उन्हें तेजी से सुरक्षित किया जाएगा।

कुल मिलाकर, ये घटनाक्रम भारत के सीमा सुरक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए सरकार के लगातार और बढ़ते प्रयासों को दर्शाते हैं। पश्चिम बंगाल में स्वदेशी फेंस-ब्रीच डिटेक्शन सिस्टम और इन्फ्रारेड अलार्म से लेकर म्यांमार सीमा पर बड़े पैमाने पर तारबंदी तक, सरकार का नजरिया तकनीक पर आधारित, सक्रिय सीमा सुरक्षा प्रबंधन की ओर एक स्पष्ट बदलाव का संकेत देता है। कई सीमाओं पर चौतरफा सुरक्षा ग्रिड के आकार लेने के साथ, सरकार ऐसे सीमा बनाने के अपने घोषित लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार दिखती है जो न केवल सुरक्षित हों, बल्कि वास्तव में अभेद्य भी हों।■



केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कोलकाता में पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की समीक्षा करते हुए।

सीमावर्ती अतिक्रमण हटाने और पुलिस आधुनिकीकरण पर जोर

ब्यूरो

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा पश्चिम बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था, न्याय प्रणाली और पुलिस क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए दिए गए निर्देश प्रशासनिक सुधार और आधुनिक पुलिसिंग की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल हैं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण हटाने, राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थ नियंत्रण तथा पूर्व वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन सुविधा केंद्र विकसित करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए है।

श्री अमित शाह ने 19 जुलाई, 2026 को कोलकाता में राज्य की कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव तथा केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए 'महिला आउटरीच कार्यक्रम' शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण महिलाओं के साथ नियमित संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा, कानून और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक बनाया जाए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार सीधे गृह मंत्रालय से सहयोग प्राप्त कर सकती है।

श्री अमित शाह ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य की



आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड तथा राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तर्ज पर विशेष जांच एजेंसी गठित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल से जुड़े सभी आतंकवाद और यूएपीए मामलों की विस्तृत समीक्षा राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जाए।

पश्चिम बंगाल पुलिस की क्षमता बढ़ाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस करने पर विशेष चर्चा हुई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण एवं सेवा वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके अलावा पुलिस बल के कैडर की समीक्षा कर उसकी संख्या को राष्ट्रीय औसत के अनुरूप बढ़ाने, पुलिस जिलों का पुनर्गठन, सभी रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने तथा प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही सिविक वॉलंटियर्स पर निर्भरता कम कर नियमित कांस्टेबलों की भर्ती को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया।

राज्य में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए एनसीओआरडी की नियमित बैठकें आयोजित करने तथा कोलकाता के लिए व्यापक बाढ़ प्रबंधन योजना तैयार करने के निर्देश दिए। विभिन्न प्राथमिकताओं की पहचान करते हुए संबंधित एजेंसियों को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इससे एक दिन पहले 18 जुलाई 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि देश में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानून भारत की न्याय व्यवस्था को अधिक तीव्र, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बना रहे हैं। उन्होंने यह जानकारी सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रदेश में इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन की दिशा में विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।



केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सिलीगुड़ी में सुरक्षाबलों से बातचीत करते हुए।



ई-साक्ष्य, ई-समन और ई-प्रिजन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, सात वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों में अनिवार्य फॉरेंसिक जांच, जीरो एफआईआर और तकनीक के उपयोग वाले ये तीन नए कानून बंगाल में सुशासन और त्वरित न्याय का नया अध्याय शुरू करेंगे।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

श्री अमित शाह ने कहा कि ई-साक्ष्य , ई-समन और ई- प्रिजन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म न्याय प्रक्रिया को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इन तकनीकों के माध्यम से जांच और न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी तथा नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के तहत सात वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य की गई है। इसके साथ ही जीरो एफआईआर की व्यवस्था और तकनीक आधारित जांच प्रणाली से पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने में मदद मिलेगी तथा अपराधों की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच सुनिश्चित होगी।

श्री अमित शाह ने विश्वास जताया कि इन तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से पश्चिम बंगाल में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित न्याय का नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और नागरिक-केंद्रित व्यवस्था के माध्यम से न्याय प्रणाली को अधिक जवाबदेह, प्रभावी और भरोसेमंद बनाया जा रहा है।■



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 'विकसित वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम 2026' के प्रतिभागियों से बातचीत की।

विकसित गांव हैं विकसित भारत की नींव: श्री नरेन्द्र मोदी

भारत के विकास की यात्रा अब केवल महानगरों और बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के सुदूर गांवों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए जोर दिया कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं।

ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 जुलाई 2026 को विकसित वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम 2026 के उत्साही युवा प्रतिभागियों से संवाद किया और इस कार्यक्रम की देशभर में हो रही व्यापक पहुंच को रेखांकित किया। देश के लगभग 250 जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे युवाओं ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां साझा कीं। प्रधानमंत्री ने सभी युवाओं का गर्मजोशी से स्वागत किया और 'मेरा युवा भारत – माई भारत' मंच के विस्तार की सराहना की, जो अब करोड़ों युवा नागरिकों को जोड़ने का कार्य कर रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं के सराहनीय कार्यों का उल्लेख करते हुए विभिन्न अभियानों और पहलों में युवा नेटवर्क के महत्त्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, 'आज माई भारत के युवा साथी देशभर में बेहद प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं।' प्रधानमंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को केवल ऑनलाइन संवाद तक सीमित रखने के बजाय उन्हें देश की जमीनी वास्तविकताओं से जोड़ना और भारत के विभिन्न क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से समझने का अवसर प्रदान करना था। उन्होंने कहा कि तीन लाख आवेदनों में से चुने गए 400 से अधिक युवा प्रतिभागियों ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के सीमावर्ती गांवों का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान युवाओं ने वहां की स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली को करीब से समझा तथा देश की सीमाओं पर बसे क्षेत्रों में व्याप्त राष्ट्रभक्ति और समर्पण की भावना को महसूस किया।

प्रधानमंत्री ने पद संभालने से पहले की अपनी व्यापक यात्राओं के दौरान सीमावर्ती समुदायों के साथ बने अपने निजी संबंधों का जिक्र किया, जिसमें मोर्चे पर तैनात सैनिकों के साथ दिवाली मनाना



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'विकसित वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम 2026' के प्रतिभागियों के सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की।

हमारी सरकार ने इन सीमावर्ती गांवों को देश का प्रथम गांव माना। वे प्रथम गांव जहां सुबह की पहली किरण भारत का अभिवादन करती है और जहां आखिरी किरण गुड नाइट कहकर के विदा लेती है। जहां सबसे पहले तिरंगा हवा से संवाद करता है। जहां से दुनिया भारत को पहली बार देखती है। यह सोच बदलने का ही परिणाम है कि आज हमारा सीमांत क्षेत्र बदल रहा है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

भी शामिल था। कारगिल विजय दिवस के मौके पर उन्होंने सशस्त्र बलों के बलिदान को सम्मान दिया। युवा स्थानीय लोगों के स्नेह और सैनिकों के साहस की कहानियों के साथ लौटे और उन्होंने इस अनुभव को सचमुच शानदार बताया।

सीमावर्ती गांवों का कायापलटः विकास पर सरकार का विशेष ध्यान

प्रधानमंत्री ने विकसित गांवों को विकसित भारत की नींव बताते हुए युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से निरंतर प्रगति की राह पर बल दिया। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, 'जब देश के युवा जमीनी हकीकत से जुड़ते हैं, तो वे विकसित भारत के व्यापक दृष्टिकोण को और भी विस्तृत बनाते हैं।' उन्होंने सीमावर्ती निवासियों द्वारा झेली जा रही अत्यधिक कठिनाइयों को स्वीकार किया, जिन्होंने गंभीर चुनौतियों के बावजूद देशभक्ति का भाव बनाए रखा है। उन्होंने स्थानीय लोगों के अटूट जज्बे पर गर्व व्यक्त किया। एक महत्त्वपूर्ण बदलाव के तहत, सरकार ने इन सीमावर्ती बस्तियों को भारत के 'अंतिम गांवों' से 'प्रथम गांवों' के रूप में पुनः नामित किया है, जहां तिरंगा सूर्य की पहली किरणों का स्वागत करता है।

ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा उपलब्धियों के बाद अब इन क्षेत्रों में बिजली, हर मौसम में सुगम आवागमन वाली सड़कें, नल से जल, गैस कनेक्शन और हाई-स्पीड इंटरनेट जैसी सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। इन विकास कार्यों से कृषि क्षेत्र में बदलाव आ रहा है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और लोगों के दैनिक जीवन में सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इन पहलों के कारण पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और विशेष रूप से बेटियों की शिक्षा तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास को नई गति देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

युवा बदलाव के वाहकः विकास को गति और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिभागियों से इस विकास की गति को और आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रत्येक युवा से आग्रह किया कि वे अपने वास्तविक अनुभवों को कम से कम 100 अन्य युवाओं तक पहुंचाएं, स्थानीय कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मिलकर काम करें, क्षेत्रीय संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें तथा परिवारों और शिक्षण संस्थानों को इन क्षेत्रों की यात्राओं के लिए प्रेरित करें। प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत के युवा जितनी गहराई से सीमावर्ती गांवों को समझेंगे, हमारा राष्ट्र उतना ही अधिक मजबूत बनेगा।' उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी से सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, संस्कृति के संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को नई ऊर्जा मिलेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के युवा 21वीं सदी की दिशा और भविष्य को आकार देने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने युवाओं को एक ओर राष्ट्र की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति बताया, वहीं दूसरी ओर विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी के रूप में भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रमुख चुनौतियों और उनके समाधान से युवाओं का सीधा जुड़ाव भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव तैयार करेगा। उन्होंने कहा, 'जब हमारी युवा शक्ति देश की चुनौतियों और उनके समाधानों से सीधे जुड़ती है, तो भविष्य निश्चित रूप से और पूरी तरह से उज्ज्वल होगा।'■



भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: 'मेक इन इंडिया' की ऐतिहासिक उपलब्धि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जुलाई, 2026 को लगभग ₹14,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया एवं पूरी हो चुकी कुछ परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। यह कार्यक्रम हरियाणा के विकास को नई गति देने वाला एक महत्त्वपूर्ण अवसर साबित हुआ। जींद में विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का भी लोकार्पण किया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने इतिहास से एक दमदार तुलना की। जिस तरह 19वीं सदी में बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली ट्रेन यात्रा ने नए रास्ते खोले थे, उसी तरह जींद-सोनीपत कॉरिडोर पर चलने वाली यह हाइड्रोजन ट्रेन भारत के 'ग्रीन भविष्य' की दिशा तय करेगी। दुनिया भर में रेलवे सेक्टर में हुए तकनीकी बदलावों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 19वीं सदी की पहचान मुख्य रूप से स्टीम इंजन से थी जबकि 20वीं सदी की पहचान बिजली से थी। भविष्य की ओर देखते हुए, उन्होंने जोर दिया कि 21वीं सदी हाइड्रोजन मोबिलिटी से चलेगी जिसकी आधिकारिक शुरूआत जींद और सोनीपत के बीच हाल ही में शुरू हुए 90 किलोमीटर लंबे मार्ग से हो रही है।

भारतीय हाइड्रोजन ट्रेन को वास्तव में विशेष बनाने वाली बात इसका आकार और शक्ति है। यह दुनिया की अपनी श्रेणी की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन है और 3,200 हॉर्सपावर और 10 डिब्बों से सुसज्जित है। विदेशों में इसी प्रकार की अधिकांश हाइड्रोजन ट्रेनें सामान्यतः केवल तीन या चार डिब्बों के साथ संचालित होती हैं, जबकि भारत ने पहले ही दिन से 10 डिब्बों वाली पूर्ण क्षमता की सेवा का सफल संचालन कर एक नया वैश्विक मानक स्थापित किया है।

यह उपलब्धि 'मेक इन इंडिया' अभियान की सबसे शानदार सफलताओं में से एक के रूप में उभरकर सामने आई है। पूरी तरह धुआं-रहित हाइड्रोजन ट्रेन का डिजाइन भारतीय इंजीनियरों ने तैयार किया है और इसका निर्माण भी देश की स्वदेशी कंपनियों द्वारा किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा, 'यह 'मेक इन इंडिया' पहल का अत्यंत सफल और गौरवपूर्ण उदाहरण है।' यह उपलब्धि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की बढ़ती क्षमता का सशक्त प्रमाण है।■

> **भारत की हाइड्रोजन ट्रेन न केवल धुआं रहित है, बल्कि 'मेक इन इंडिया' का एक शानदार उदाहरण भी है। इस हाइड्रोजन ट्रेन की परिकल्पना और डिजाइन भारतीय इंजीनियरों ने तैयार की है तथा इसका निर्माण एक भारतीय कंपनी ने किया है।**
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

विकसित भारत को बढ़ावा



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी चंडीगढ़ में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उनके उद्घाटन समारोह में।

ब्यूरो

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को चंडीगढ़ में ₹4,700 करोड़ से अधिक की कई प्रमुख विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। इन पहलों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सड़क अवसंरचना शामिल हैं जो शहर के विकास को नई गति देंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को सुनियोजित और व्यवस्थित विकास का एक अनुकरणीय उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि यह शहर हमेशा से बेहतर जीवन शैली और सुगम जीवन का प्रतीक रहा है। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, 'चंडीगढ़ का विकास हमेशा से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।'

प्रधानमंत्री ने आधुनिक बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश पर जोर दिया। इनमें एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र, स्मार्ट यातायात प्रबंधन और डिजिटल शासन पहल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि शहर को हाई-टेक बनाने के इस मिशन पर ₹2500 करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं। ऐसे कदमों का उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार शहरी परिवेश बनाना है।

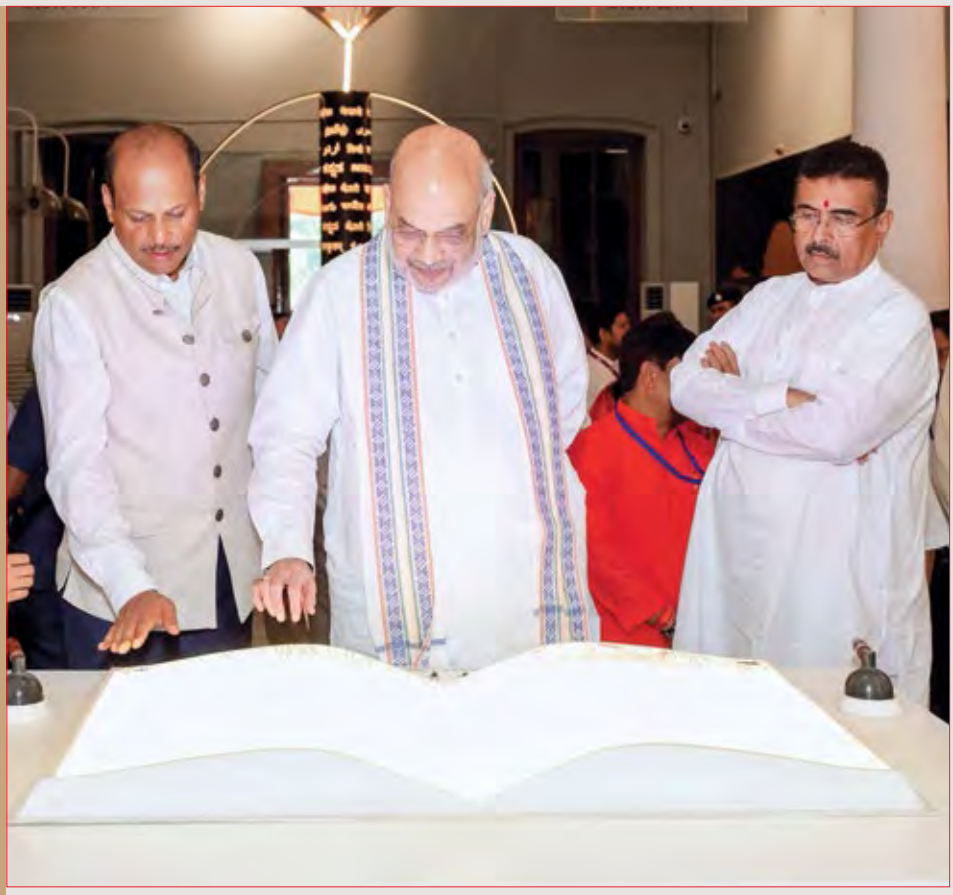
श्री नरेन्द्र मोदी ने एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान में नई सुविधाओं की घोषणा की, जिनमें तंत्रिका विज्ञान केंद्र, मातृ एवं शिशु केंद्र और गहन चिकित्सा अस्पताल ब्लॉक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं लाखों लोगों को और बेहतर इलाज की सुविधाएं देंगी। वर्ष 2015 में संस्थान के दीक्षांत समारोह में अपनी यात्रा को याद करते हुए, उन्होंने पिछले दशक में हुई उल्लेखनीय प्रगति के लिए डॉक्टरों, प्रोफेसरों और कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के क्रांतिकारी प्रभाव को याद करते हुए बेहतर जन स्वास्थ्य को स्वच्छता से भी जोड़ा। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर, प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डा की सडक पर भीड़ कम करने के लिए आईटी सिटी से कुराली तक छह-लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन किया।

श्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा और पंजाब के बीच एक पुल के रुप में चंडीगढ़ की रणनीतिक भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शहर में सुधारों से पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लोगों को भी सीधा फायदा होता है।■

> ***विकसित भारत की यात्रा में हमें फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर, फ्यूचर के ट्रांसपोर्टेशन पर और फ्यूचर की हेल्थ सर्विसेस पर, इसी आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ना है। हमें ऐसे फैसले लेने हैं, जिनका लाभ वर्तमान पीढ़ी को तो मिले ही मिले, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे।***
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

ओंकार से AI तक भारत की भाषा यात्रा को दर्शाता है शब्द संग्रहालय

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के पुनरुत्थान के संकल्प को 'शब्द संग्रहालय' एक साकार रूप प्रदान कर रहा है। यह 'शब्द संग्रहालय' भारत की भाषाओं, संस्कृति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की गौरवशाली यात्रा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक प्रभावी और सशक्त माध्यम बनेगा।



केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कोलकाता में 'म्यूजियम ऑफ वर्ड' के पहले चरण का उद्घाटन किया।

ब्यूरो

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 'म्यूजियम ऑफ वर्ड' (शब्द संग्रहालय) के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए कहा है कि यह संग्रहालय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के संकल्प को साकार करने वाला महत्त्वपूर्ण प्रयास है। किसी भी देश या प्रदेश की संस्कृति की अभिव्यक्ति भाषा के बिना संभव नहीं हो सकती और भाव से उत्पन्न शब्दों के बिना भाषा बन ही नहीं सकती।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेन्दु अधिकारी, वित्त मंत्री श्री स्वप्न दासगुप्ता, केन्द्रीय गृह सचिव, केन्द्रीय संस्कृति सचिव और आसूचना ब्यूरो के निदेशक सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति 19 जुलाई 2026 को आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

श्री अमित शाह ने विश्वास जताया कि यह 'शब्द संग्रहालय' देश की भाषाओं, संस्कृति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। भाषा, शब्द और संस्कृति के संबंध को समझाते हुए उन्होंने कहा कि भाषा शब्दों से बनती है, शब्द भाव से उत्पन्न होते हैं और भाषा के माध्यम से संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए इस यात्रा को समझना आवश्यक है। जब तक नई पीढ़ी यह नहीं जानेगी कि भाषा और संस्कृति का विकास किस प्रकार हुआ है, तब तक

सांस्कृतिक विरासत की पूरी समझ विकसित नहीं हो सकती और इस देश का सांस्कृतिक पुनरुत्थान नहीं हो सकता।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 'म्यूजियम ऑफ वर्ड' में भारत की भाषा यात्रा को वैज्ञानिक और अनुभवात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसमें ओंकार से लेकर शब्द निर्माण, पाणिनि के व्याकरण, श्रुति-स्मृति परंपरा, ताड़पत्र, शिलालेख, पांडुलिपियों, प्रिंटिंग प्रेस और आधुनिक डिजिटल तकनीक तक की पूरी यात्रा को दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि इस संग्रहालय को आगे डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ते हुए भारतीय भाषाओं को भविष्य की तकनीकों के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि भारत ने कभी नवाचार से दूरी नहीं बनाई और हमेशा शुभ विचारों को स्वीकार किया। यही कारण है कि अनेक चुनौतियों के बावजूद भारत की सांस्कृतिक यात्रा हिमालय की तरह अटल और मजबूत बनी हुई है। यह संग्रहालय भारत की बहुभाषी चेतना, ज्ञान परंपरा और जनस्मृति को दृश्य, श्रव्य, स्पर्शनीय और अनुभवात्मक रूप में संरक्षित करने का अभिनव प्रयास है। उन्होंने कहा कि शब्दों को बांधा नहीं जा सकता, लेकिन शब्दों के विज्ञान को इस संग्रहालय ने संरक्षित करने का कार्य किया है। यहां शब्दों को सुना, समझा, महसूस किया और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सकता है।

संस्कृति मंत्रालय ने इस संग्रहालय के माध्यम से भारत की अदृश्य विरासत को एक जीवंत अनुभव में बदलने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि बंगाल हमेशा से भारतीय सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रकाश स्तंभ रहा है। बंगाल ने महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व देश और दुनिया को दिए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि बंगाल एक बार फिर भारतीय चेतना के बौद्धिक केंद्र के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा और विश्व को दिशा देने का कार्य करेगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि महर्षि अरविंद के विचारों को समझे बिना भारत को पूरी तरह समझना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के संकल्प में भाषा, संस्कृति और आत्मविश्वास की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। श्री शाह ने युवाओं से अपील की कि वे अपनी मातृभाषा को सम्मान दें, शब्दों को समझें, उच्चारण को शुद्ध करें और व्याकरण को आत्मसात करें। उन्होंने कहा कि भाषा पर पकड़ युवाओं की अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है।

उन्होंने भाषा संरक्षण के लिए पांच महत्त्वपूर्ण सूत्र बताए। इनमें परिवार को भाषा की पहली पाठशाला बनाना, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देना, विश्वविद्यालयों को मौलिक चिंतन का केंद्र बनाना, हर भारतीय भाषा को डिजिटल और एआई सक्षम बनाना, प्रत्येक युवा को अपनी मातृभाषा के साथ एक अन्य भारतीय भाषा सीखना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से भारतीय भाषाओं को नई ऊर्जा मिलेगी और वे आने वाले हजारों वर्षों तक जीवंत बनी रहेंगी।



मोदी जी के नेतृत्व में देशभर में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के संकल्प को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में 'शब्द संग्रहालय' के पहले चरण का लोकार्पण किया। 22 भारतीय भाषाओं, बोलियों और नौ अत्याधुनिक डिजिटल गैलरियों से युक्त यह संग्रहालय भाषा, संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। साथ ही, देशभर के भाषा-प्रेमियों, शोधार्थियों और अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय संस्कृति के प्रकाश स्तंभ बंगाल की धरती से यह संकल्प लेना चाहिए कि शब्दों के माध्यम से संस्कृति को शक्ति दी जाएगी, संस्कृति से आत्मविश्वास बढ़ाया जाएगा और आत्मविश्वास के आधार पर वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 'म्यूजियम ऑफ वर्ड' भारत की भाषा, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ने वाला प्रमुख केंद्र बनेगा और भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के संकल्प में योगदान देगा।



राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह राष्ट्रपति भवन में बस्तर पंडुम 2026 के विजेताओं एवं जनजातीय प्रतिनिधियों के साथ।

राष्ट्रपति भवन में पहली बार बस्तर की संस्कृति के रंग

ब्यूरो

राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 30 जुलाई को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में बस्तर संभाग के प्रतिनिधिमंडल ने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में बस्तर पंडुम-2026 के विजेता, बस्तर के परगना मांझी और चालकी सहित अनेक जनजातीय प्रतिनिधि शामिल थे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

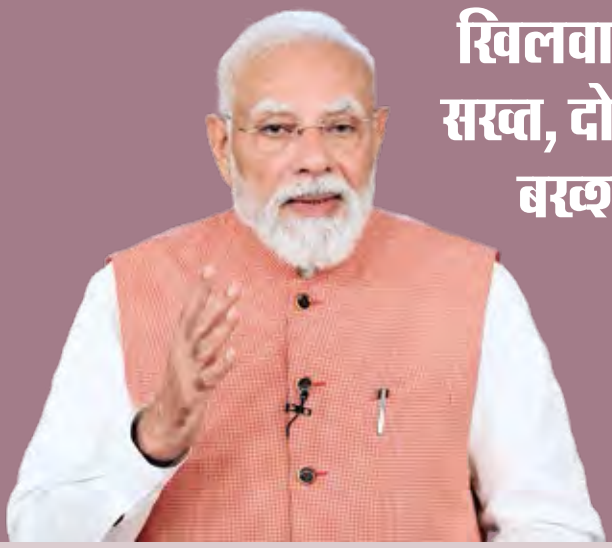
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि बस्तर पंडुम केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि बस्तर की गौरवशाली परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान और जनजातीय विरासत का उत्सव है। इस आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बस्तर की वास्तविक पहचान को स्थापित करना है। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजन युवाओं को अपनी परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का महत्त्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित करते हैं। उन्होंने बस्तर की सामाजिक व्यवस्था में मांझी और चालकी की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वे समाज और प्रशासन के बीच मजबूत सेतु का कार्य करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व और समर्पण से क्षेत्र में शांति, सामाजिक समरसता और विकास को और अधिक बल मिलेगा।

राष्ट्रपति ने जनजातीय युवाओं की प्रतिभा की भी सराहना करते हुए कहा कि वे शिक्षा, विज्ञान, कला और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज में खेल और कला की नैसर्गिक प्रतिभा होती है। हाल ही में आयोजित बस्तर ओलंपिक का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे युवाओं की प्रतिभा को मंच देने वाला महत्त्वपूर्ण प्रयास बताया।

> ***बस्तर पंडुम केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह बस्तर की गौरवशाली परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान का उत्सव है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों मंचों पर बस्तर की वास्तविक पहचान स्थापित करना है।***
>
> **श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, राष्ट्रपति**

इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के साथ बस्तर के मांझी-चालकी और बस्तर पंडुम के विजेताओं से संवाद किया। बाद में सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए गए एक संदेश में श्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में पहली बार बस्तर की पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे बस्तरवासी इस बात का प्रमाण हैं कि जो बस्तर कभी नक्सली हिंसा के कारण अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत खोता जा रहा था, वह आज नक्सलमुक्त होकर अपनी धरोहरों को सहेज रहा है। ■

छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर सरकार सख्त, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा





संसद ने एक ऐसा विधेयक पारित किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाता है।
श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मोदी सरकार ने संसद में 'सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधन रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पारित करके हमारे छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।
श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

ब्यूरो

लोकसभा ने 'सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधन रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' को पारित कर दिया है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देशभर के विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह कानून सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने और युवाओं के भविष्य की रक्षा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

श्री अमित शाह ने 29 जुलाई, 2026 को सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक संदेश में कहा कि यह संशोधन विधेयक उन लोगों के खिलाफ सबसे कठोर दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित करता है, जो सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग कर या पेपर लीक जैसी गतिविधियों के माध्यम से परीक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून लाखों छात्रों के सपनों और आकांक्षाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाले तत्वों के विरुद्ध कानून की पूरी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और भरोसा कायम रखना न केवल विद्यार्थियों के हित में है, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक संस्थाओं की साख के लिए भी आवश्यक है।

विधेयक में सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्त्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इनमें दस वर्ष तक ₹10 करोड़ तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से दो महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के तीन महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए।

संशोधित कानून के लागू होने से पेपर लीक, परीक्षा में धांधली, संगठित नकल और अन्य अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। साथ ही, यह संदेश भी जाएगा कि परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ करने वालों के लिए अब कानून पहले से अधिक कठोर होगा। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे परिदृश्य में इस संशोधन विधेयक को परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्यसभा ने भी इस विधेयक को 30 जुलाई 2026 को पारित कर दिया। ■

सीमा-पार मादक पदार्थों की तस्करी पर सरकार सख्त



सीमा-पार तस्करी रोकने के लिए सरकार संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन रोधी प्रणालियां, सीसीटीवी कैमरे, पीटीजेड कैमरे, नाइट विजन डिवाइस (एनवीडी), नई तकनीक वाली सीमा बाड़ तथा बॉर्डर फ्लडलाइटिंग जैसी आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाएं स्थापित कर रही है, ताकि तस्करी के मार्गों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।

ब्यूरो

पूर्वोत्तर राज्यों सहित भारत में सीमा-पार मादक पदार्थों की तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई थी। विशेष रूप से 'डेथ ट्राएंगल' (म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से जुड़ा क्षेत्र) तथा भारत-म्यांमार की खुली सीमा के कारण पूर्वोत्तर राज्य एम्फेटामाइन-टाइप स्टिमुलेंट्स (एटीएस) और हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय तस्करी के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा, तकनीकी निगरानी और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को और मजबूत किया है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने 29 जुलाई, 2026 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि वर्ष 2021 से 2025 के दौरान विभिन्न मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 4,626 किलोग्राम एटीएस तथा 2,652 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है। यह आंकड़े सीमा-पार तस्करी के बढ़ते नेटवर्क और उस पर कार्रवाई की गंभीरता को दर्शाते हैं। उन्होंने बताया कि फ्री मूवमेंट रेजीम (एफएमआर) वाले संवेदनशील सीमा क्षेत्रों का दुरुपयोग तस्कर लगातार कर रहे हैं। ड्रग सिंडिकेट अब वैध व्यापार, यात्रियों की आवाजाही, स्थानीय नेटवर्क, जंगलों के रास्तों और नए तस्करी मार्गों का उपयोग कर कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 26 जून 2026 को 'नशीले पदार्थों के नियंत्रण पर विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029)' जारी किया है। इसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों, एजेंसियों और राज्यों के लिए समयबद्ध कार्ययोजना निर्धारित की गई है। विजन डॉक्यूमेंट के चार प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। इनमें खुफिया जानकारी और प्रवर्तन अभियान मजबूत करना, प्रीकर्सर रसायनों एवं सिंथेटिक ड्रग्स पर नियंत्रण, नशे की मांग और उससे होने वाले नुकसान को कम करना, क्षमता निर्माण तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना शामिल है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल तथा राज्य स्तरीय एजेंसियों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चला रहा है। रियल-टाइम इंटेलिजेंस साझा करने और त्वरित कार्रवाई के लिए श्रीनगर, सिलीगुड़ी, अगरतला और ईटानगर में जोनल इकाइयां स्थापित की गई हैं। सरकार ने छह नए जोनल कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है, जिनमें दीमापुर (नागालैंड), आइजोल (मिजोरम), शिलांग (मेघालय) और गंगटोक (सिक्किम) भी शामिल हैं।

तस्कर अब भारत-म्यांमार सीमा के खुले और बिना बाड़ वाले हिस्सों, जंगलों, पगडंडियों और पहाड़ी मार्गों का उपयोग कर रहे हैं। नशीले पदार्थों को वैध माल, यात्री वाहनों और मालवाहक ट्रकों में छिपाकर भेजा जाता है। इसके अलावा, कूरियर सेवाओं, पार्सल नेटवर्क, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन ऐप्स का उपयोग भी तेजी से बढ़ा है। मोरेह-तामू सीमा अब भी म्यांमार से भारत के विभिन्न हिस्सों में हेरोइन और मेथम्फेटामाइन की तस्करी का प्रमुख ट्रांजिट मार्ग बनी हुई है।■

सुरक्षा से विज्ञान तक: 'विकसित भारत' के नए आयाम



केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरी ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।



केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार हैदराबाद 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता 2026-27 में शामिल हुए।

ब्यूरो

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में 24 जुलाई 2026 को भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरी ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और उनके प्रतिनिधिमंडलों प्रमुखों ने भाग लिया। श्री नित्यानंद राय ने बैठक में कहा कि उदयपुर घोषणा (2016) से लेकर कजान घोषणा (2024) और ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की स्थापना तक निरंतर सहयोग इस बात का प्रमाण है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सतत विकास, जलवायु अनुकूलन और मानव सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण आधार माना जा रहा है।

- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 26 जुलाई 2026 को बिहार में बांकीपुर विधानसभा के अंतर्गत विग्रहपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 136वें संस्करण को जनता के साथ सुना। उन्होंने कहा कि 'मन की बात' देश से एक संवाद के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक संकल्प को जन-आंदोलन में बदलने का एक सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री ने 'कैच द रेन' अभियान के माध्यम से जल संरक्षण को जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया है।
- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार ने 18 जुलाई 2026 को भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरुट एयरोस्पेस को बधाई दी। उन्होंने इसे हर भारतीय के लिए गर्व का दिन बताया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि नीतिगत सुधारों से लेकर घरेलू नवाचारों तक यह मिशन भारत के स्पेस इकोसिस्टम की शानदार तरक्की और इसके युवा उद्यमियों के आत्मविश्वास को दिखाता है।
- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार ने 23 जुलाई 2026 को हैदराबाद के गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता 2026-27 का उद्घाटन किया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा आयोजित इन राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में देश भर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में देश भर के पुलिसकर्मी एक साथ आते हैं, जिससे खेल भावना और अनुशासन को बढ़ावा मिलता है। श्री बंडी संजय कुमार ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में यह भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है।
- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने 28 जुलाई 2026 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक ₹2254.43 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नौ परिसरों की स्थापना के लिए ₹1309.13 करोड़ और सात केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए ₹860.3 करोड़ आवंटित किए गए हैं। एनएफएसयू परिसरों और सीएफएसएल के लिए योजना के अंतर्गत ₹119.09 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है और उसका उपयोग किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नौ परिसरों की स्थापना को नागपुर (महाराष्ट्र), रायपुर (छत्तीसगढ़), खुर्दा (ओडिशा), चेंगलपट्टू (तमिलनाडु), राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, रायपुर (छत्तीसगढ़), खुर्दा (ओडिशा), चेंगलपट्टू (तमिलनाडु), राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।■

सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और खेल शक्तिः बदलते भारत की नई तस्वीर

भारत की सुरक्षा व्यवस्था आज केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साइबर स्पेस, आर्थिक सुरक्षा, युवाओं की प्रतिभा और राष्ट्रीय गौरव से भी जुड़ चुकी है। हाल के दिनों में सुरक्षा बलों और पुलिस एजेंसियों द्वारा की गई कई महत्त्वपूर्ण कार्रवाइयां इस बात का प्रमाण हैं कि देश आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है।

दिल्ली पुलिस ने ₹70 करोड़ के म्यूल बैंक अकाउंट रैकेट का किया भंडाफोड़, 10 आरोपी गिरफ्तार



दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट साइबर थाना टीम ने करीब ₹70 करोड़ के म्यूल बैंक अकाउंट नेटवर्क का पदार्फाश करते हुए एक बड़े साइबर अपराध गिरोह का खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने 28 जुलाई, 2026 को बताया कि उसकी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट साइबर थाना टीम ने करीब ₹70 करोड़ के म्यूल बैंक अकाउंट नेटवर्क का पदार्फाश किया है। पुलिस के अनुसार, ₹10,000 के पार्ट-टाइम जॉब फ्रॉड की जांच के दौरान इस बड़े साइबर गिरोह का खुलासा हुआ। मामले में अब तक 10 आरोपियों, जिनमें पांच बैंक कर्मचारी शामिल हैं, को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में इस गिरोह के तार दुबई और यूनाइटेड किंगडम तक जुड़े होने का भी पता चला है।

आरोपियों पर फर्जी बैंक खाते खुलवाने, म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने और साइबर ठगी की रकम को विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर छिपाने का आरोप है। अब तक की जांच में इस गिरोह से जुड़े 19 राज्यों में दर्ज 156 साइबर शिकायतों का पता चला है, जिससे इस नेटवर्क के व्यापक स्तर पर सक्रिय होने की पुष्टि हुई है।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 248 बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज, 38 सिम कार्ड, 22 मोबाइल फोन, 28 फर्जी कंपनियों की मोहरें, 55 क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ₹1 लाख नकद तथा एक कार बरामद की है।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और इस अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस गिरोह के माध्यम से कितनी राशि की साइबर ठगी को अंजाम दिया गया और इसमें अन्य लोगों की क्या भूमिका रही।

मिजोरम के चम्फाई में ₹4.12 करोड़ की सुपारी जब्त



असम राइफल्स ने अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मिजोरम के चम्फाई जिले में करीब ₹4.12 करोड़ मूल्य की सुपारी जब्त की है। असम राइफल्स ने 25 जुलाई 2026 को कस्टम प्रिवेंटिव फोर्स, चम्फाई के साथ संयुक्त अभियान चलाया। यह अभियान चम्फाई-ख्वाजॉल रोड पर खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था।

तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 501 बोरी सुपारी बरामद की, जिसका कुल वजन 40,080 किलोग्राम है।

असम राइफल्स के अनुसार, जब्त किए गए सामान को कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम प्रिवेंटिव फोर्स, चम्फाई को सौंप दिया गया है। यह कार्रवाई अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति बल की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सीमा क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों के खिलाफ भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।

असम राइफल्स की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों के सात सक्रिय सदस्य गिरफ्तार

असम राइफल्स ने मणिपुर में उग्रवाद के खिलाफ चलाए गए सघन अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों के सात सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 18 से 24 जुलाई, 2026 के बीच खुफिया जानकारी के आधार पर संयुक्त एवं स्वतंत्र अभियानों के तहत की गई।

असम राइफल्स के अनुसार, अभियान भारत-म्यांमार सीमा के साथ-साथ चंदेल, तेंगनौपाल और काकचिंग जिलों में चलाया गया। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने एक AK-47 राइफल, दो मोलोटोव कॉकटेल तथा 22 बोर के पांच जिंदा कारतूस बरामद किए।



गिरफ्तार किए गए सभी उग्रवादियों और बरामद हथियारों एवं अन्य सामग्री को कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थानों को सौंप दिया गया है। असम राइफल्स ने कहा कि इन सफल अभियानों से मणिपुर में शांति, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सुनिश्चित करने की उसकी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। सुरक्षा बल भविष्य में भी उग्रवादी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने और क्षेत्र में स्थायी शांति बनाए रखने के लिए इसी प्रकार के अभियान जारी रखेंगे।

रोमानिया में बीएसएफ की शानदार जीत, कांस्टेबल आरती धरियाल ने जीता स्वर्ण पदक



सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की महिला मुक्केबाज कांस्टेबल आरती धरियाल ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन करते हुए रोमानिया में आयोजित प्रतिष्ठित निकोलाए लिंका गोल्डन बेल्ट बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर भारत और बीएसएफ का गौरव बढ़ाया है।

रोमानिया के ब्राइला में 10 से 18 जुलाई, 2026 तक आयोजित इस टूर्नामेंट के एलीट महिला 54 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में आरती धरियाल ने मेजबान देश रोमानिया की कार्ला लॉरा ब्रोंसिया को एकतरफा अंदाज में हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बीएसएफ ने कहा कि यह उपलब्धि उसके खिलाड़ियों के अनुशासन, कड़ी मेहनत, समर्पण और विश्वस्तरीय खेल क्षमता का प्रमाण है। बीएसएफ के खिलाड़ी लगातार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बल और देश का नाम रोशन कर रहे हैं।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बीएसएफ महानिदेशक ने कांस्टेबल आरती धरियाल को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास जताया कि आरती आने वाले समय में भी देश के लिए अनेक अंतरराष्ट्रीय पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाती रहेंगी।

भविष्य के चैंपियनों को तराश रहा आईटीबीपी



भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) युवाओं और बच्चों में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी पहल के तहत आईटीबीपी वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट , टिहरी में करीब 50 स्थानीय बच्चों को जल क्रीड़ा की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है।

आईटीबीपी के हिमवीरों के मार्गदर्शन में 19 जुलाई, 2026 को बच्चे कैनोइंग, कयाकिंग और रोइंग जैसे रोमांचक एवं प्रतिस्पर्धी खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कम उम्र से ही इन बच्चों को खेलों से जोड़कर उनमें प्रतिभा विकास, अनुशासन और खेल भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है।

आईटीबीपी का यह प्रयास भविष्य के खिलाड़ियों को तैयार करने के साथ-साथ युवाओं में आत्मविश्वास, टीम भावना और साहस की भावना विकसित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

आईटीबीपी ने कहा कि इस तरह की पहल का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और देश के लिए भविष्य के उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करना है।■

न्याय संहिता से न्याय प्रक्रिया को मिली नई गति, तकनीक और साक्ष्य-आधारित पुलिसिंग से बढ़ी त्वरित दोषसिद्धि

असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और ओडिशा में हाल के समय में विभिन्न आपराधिक मामलों में हुई त्वरित दोषसिद्धियां इस बात का प्रमाण हैं कि भारतीय न्याय संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन से जांच और अभियोजन व्यवस्था अधिक सशक्त एवं परिणामोन्मुख बनी है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, हत्या, मारपीट तथा चोरी जैसे गंभीर मामलों में डिजिटल तकनीकों, वैज्ञानिक साक्ष्यों और साक्ष्य-आधारित पुलिसिंग के व्यापक उपयोग के साथ पुलिस और न्यायपालिका के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है।

ब्यूरो

यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा

महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों में कड़ी सजा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देते हुए सोनितपुर की एक अदालत ने 15 जून 2026 को यौन उत्पीड़न के एक मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹5,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही, जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त तीन माह का कठोर कारावास भुगतना होगा। अदालत ने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष ने मौखिक, चिकित्सीय (मेडिकल) और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का अपराध संदेह से परे सिद्ध कर दिया है। यह फैसला महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के प्रति न्याय व्यवस्था की प्रतिबद्धता को पुनः रेखांकित करता है।

यह घटना 11 अप्रैल, 2025 को सोनितपुर जिले में हुई, जब आरोपी कथित तौर पर पीड़िता को उसके घर से खींचकर पास के एक तालाब के किनारे ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। मदद के लिए पीड़िता की चीखें सुनकर उसके परिवार वाले तुरंत मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। पीड़िता के परिवार ने 14 अप्रैल को रंगापारा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 75(2), 64(1) और 62 के तहत एफआईआर दर्ज की।

जांच प्रारंभ होते ही पुलिस ने बिना किसी विलंब के घटनास्थल का निरीक्षण किया, घटनास्थल का स्कैच मैप तैयार किया तथा आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। पीड़िता और गवाहों के बयान ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से दर्ज किए गए, जबकि पीड़िता की चिकित्सीय जांच (मेडिकल) रिपोर्ट को सुरक्षित डिजिटल अभिलेखन के लिए मेडिको-लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्ट मॉर्टम रिपोर्टिंग सिस्टम पोर्टल पर अपलोड किया गया। जांच के दौरान आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मौखिक, चिकित्सीय और दस्तावेजी साक्ष्यों के संग्रह के बाद 38 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर जांच पूरी कर ली गई। इसके पश्चात 21 मई 2025 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया, जबकि 20 दिसंबर 2025 को न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध आरोप तय किए।

महज 26 दिनों में मिला न्याय

भारतीय न्याय संहिता के तहत त्वरित न्याय का एक उल्लेखनीय उदाहरण दिल्ली में देखने को मिला, जहां पुलिस, अभियोजन पक्ष और न्यायपालिका के बीच प्रभावी समन्वय के कारण जांच, सुनवाई और दोषसिद्धि की पूरी प्रक्रिया सिर्फ 26 दिनों में पूरी कर ली गई।

यह मामला नई दिल्ली के दक्षिण-पूर्व जिले के बदरपुर थाना में एक ऑनलाइन ई-एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया था। पुलिस ने सात दिनों के भीतर जांच पूरी कर ली, 13 दिनों के भीतर न्यायालय ने आरोप तय कर दिए और इसके बाद मात्र छह दिनों में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी। यह मामला तकनीक-आधारित पुलिसिंग और समयबद्ध कानूनी प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

यह घटना 15-16 मई 2026 की मध्यरात्रि की है, जब शिकायतकर्ता के कार्यालय से लगभग चार किलोमीटर फाइबर केबल, एक ओटीडीआर मशीन तथा एक सीढ़ी चोरी कर ली गई। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के रूप में महत्त्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए, जिनमें आरोपी चोरी की गई स्कूटी पर घटनास्थल पर पहुंचते और चोरी का सामान लेकर जाते हुए दिखाई दिया।

आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से चोरी किया गया पूरा सामान बरामद किया गया। बरामदगी की पूरी प्रक्रिया का ई-साक्ष्य के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, जिससे साक्ष्यों की पारदर्शिता और प्रामाणिकता सुनिश्चित हुई। पुलिस ने 23 मई 2026 को न्यायालय में आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया, जबकि 05 जून 2026

मारपीट के मामले में आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा

हिंसक अपराधों में साक्ष्य-आधारित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देते हुए छत्तीसगढ़ के कांकेर की एक अदालत ने 28 नवंबर 2025 को मारपीट के एक मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा उस पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही, चिकित्सीय साक्ष्य, फोरेंसिक जांच रिपोर्ट तथा दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का अपराध संदेह से परे सिद्ध माना।

यह घटना 21 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में हुई थी। शाम लगभग छह से सात बजे के बीच पीड़ित अपने घर लौट रहा था, तभी गांव के एक व्यक्ति ने पुरानी रंजिश के कारण कथित रूप से डंडे से उस पर हमला कर दिया। हमले में पीड़ित के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे तत्काल कांकेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के पुत्र की शिकायत के आधार पर 22 मार्च 2025 को सिटी कोतवाली थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई।

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साइट प्लान तैयार किया तथा गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच दल ने वारदात में प्रयुक्त खून से सना डंडा भी बरामद किया। बरामद हथियार को फोरेंसिक जांच के लिए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल), रायपुर भेजा गया, जबकि पीड़ित की चिकित्सीय रिपोर्ट मेडिको-लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्ट मॉर्टम रिपोर्टिंग सिस्टम पोर्टल पर अपलोड की गई। पुलिस ने 25 दिनों के भीतर जांच पूरी कर 17 अप्रैल 2025 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद 19 जून 2025 को न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध आरोप तय किए।

यह मामला दर्शाता है कि भारतीय न्याय संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन से गंभीर अपराधों में त्वरित जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों के प्रभावी संग्रह तथा समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया को मजबूती मिली है, जिससे अपराधियों को प्रभावी और शीघ्र दंड सुनिश्चित किया जा रहा है।

को न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध आरोप तय किए। न्यायालय ने सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, चोरी गए सामान की बरामदगी, जब्ती संबंधी दस्तावेजों तथा गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी का अपराध संदेह से परे सिद्ध माना। इसके बाद 12 जून 2026 को न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(a) और धारा 331(4) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया। यह मामला स्पष्ट करता है कि भारतीय न्याय संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन, डिजिटल जांच, तकनीक-सक्षम पुलिसिंग और सुदृढ़ अभियोजन व्यवस्था के माध्यम से त्वरित एवं प्रभावी न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है।

दुष्कर्म और हत्या के मामले में आजीवन कारावासः नाबालिग पीड़िता को मात्र 121 दिनों में मिला न्याय

भारतीय न्याय संहिता महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में त्वरित जांच और शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानूनी प्रावधान उपलब्ध कराती है। समयबद्ध प्रक्रियाओं और प्रभावी कानूनी सुरक्षा उपायों के माध्यम से इस कानून ने गंभीर अपराधों के मामलों के त्वरित निस्तारण और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण ओडिशा के ब्रह्मपुर से सामने आया, जहां एक नाबालिग पीड़िता को मात्र 121 दिनों के भीतर न्याय मिला और आरोपी को कानून के तहत कड़ी सजा सुनाई गई।

ओडिशा के ब्रह्मपुर स्थित एक न्यायालय ने 25 अगस्त 2025 को आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 238(a) और धारा 137(2) के अंतर्गत कठोर कारावास की सजा तथा संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत जुर्माना भी लगाया।

यह जघन्य घटना 25 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 7:30 बजे की है, जब पांच वर्षीय बालिका पट्टापुर थाना क्षेत्र में अपने घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई। परिजनों द्वारा व्यापक खोजबीन के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका। उसका शव 26 अप्रैल 2025 की सुबह एक निर्माणाधीन भवन में निर्वस्त्र अवस्था में मिला, जिससे दुष्कर्म के बाद हत्या की निर्मम घटना का खुलासा हुआ। जांच में आरोपी की पहचान पीड़िता के मामा के रूप में हुई। पीड़िता के चाचा द्वारा 26 अप्रैल 2025 को दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पट्टापुर थाना में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई। इसके बाद मामले को तत्काल भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज कर व्यापक आपराधिक जांच शुरू की गई।

पुलिस ने आधुनिक फोरेंसिक तकनीकों और डिजिटल जांच उपकरणों का उपयोग करते हुए तुरंत जांच प्रारंभ की। शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 180 के तहत दर्ज किए गए। घटनास्थल की 100 प्रतिशत फोरेंसिक जांच की गई, जिसमें जैविक (बायोलॉजिकल) और भौतिक (फिजिकल) साक्ष्य एकत्र किए गए।

जांच के दौरान ई-साक्ष्य, मेडिको-लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्ट मॉर्टम रिपोर्टिंग सिस्टम, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, सीसीटीवी फुटेज तथा डीएनए प्रोफाइलिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रभावी उपयोग किया गया। पुलिस ने घटना के दो दिनों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में 15 जून 2025 को आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया गया, जबकि दो जुलाई 2025 को न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 65(2), 64(2) (f), 103(1), 238(a) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपी के विरुद्ध आरोप तय किए।■

भारत की सीमा सुरक्षा को नई परिभाषा दे रही तकनीक



विकास सहाय
आईपीएस (सेवानिवृत्त)
पूर्व पुलिस महानिदेशक, गुजरात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार एक 'चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड' विकसित कर रही है, जिसमें सीमाओं के सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन, तकनीक और स्थानीय आबादी को एक साथ जोड़ा जा रहा है।

भारत की सीमाएं दुनिया की सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण सीमाओं में शामिल हैं। ये देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और भू-आकृतियों से होकर गुजरती हैं। दशकों तक इन सीमाओं की सुरक्षा का अर्थ मुख्य रूप से सैनिकों की तैनाती, निगरानी टावरों और भौतिक अवरोधों पर निर्भर रहना था। इस व्यवस्था ने देश की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। आज खतरों का स्वरूप बदल चुका है। घुसपैठ, तस्करी, ड्रोन के जरिए घुसपैठ और साइबर खतरों से निपटने के लिए पहले की तुलना में अधिक स्मार्ट, तेज और एकीकृत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। यही वह क्षेत्र है, जहां केंद्र सरकार का टेक्नोलॉजी पर नए सिरे से बढ़ता जोर वास्तविक बदलाव ला रहा है।

हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के सिलीगुड़ी स्थित जूमागाछ सीमा चौकी के दौरे ने सीमा सुरक्षा में हो रहे इस बदलाव की एक महत्त्वपूर्ण झलक पेश की। इस दौरान उन्होंने रेडियो आधारित फेंस ब्रीच डिटेक्शन सिस्टम का निरीक्षण किया। जैसे ही कोई व्यक्ति सीमा पर लगी बाड़ से छेड़छाड़ करता है, तो यह प्रणाली बिना किसी देरी के तुरंत पहले से रिकॉर्ड किया गया अलर्ट जारी कर देती है। इस तरह की तकनीकी पहल सीमाओं पर होने वाले संभावित खतरों का पता लगाने और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की गति और सटीकता को नए स्तर पर ले जा रही है।

मुश्किल इलाकों जैसे कि नदियों के रास्तों और बिना बाड़ वाली जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा इन्फ्रारेड अलार्म सिस्टम भी बेहद जरूरी है। यहां बीम में किसी भी तरह की हलचल होते ही तुरंत अलर्ट मिल जाता है, जिससे सैनिकों को कार्रवाई करने के लिए पहले से चेतावनी मिल जाती है। जहां फिजिकल बाड़ लगाना मुमकिन नहीं है, वहां तकनीक ने बॉर्डर की सुरक्षा का काम बखूबी संभाला है। इसके साथ ही, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर शुरू किया गया गेट मैनेजमेंट सिस्टम किसानों और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षा से समझौता किए बिना अपने रोजमर्रा के कामों के लिए सुरक्षित रूप से आने-जाने की सुविधा देता है। यह एक संतुलित तरीका है, जो बॉर्डर को सुरक्षित रखता है और साथ ही स्थानीय लोगों के जीवन में कोई बाधा नहीं आने देता।

जमीनी स्तर पर किए जा रहे ये नवाचार एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार एक 'चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड' विकसित कर रही है, जिसमें सीमाओं के सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन, तकनीक और स्थानीय आबादी को एक साथ जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे यह सोच है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती इलाका और सतर्क समाज मिलकर ही देश को सुरक्षित बनाते हैं।

यह सोच जमीन पर वास्तविक रूप ले रही है। 1,610 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर ₹31,000 करोड़ की लागत से बाड़ लगाई जा रही है। यह देश के इतिहास में इस तरह के सबसे बड़े कामों में से एक है। यह केवल बाड़ लगाना नहीं है। इसका मकसद घुसपैठ, कट्टरपंथ, तस्करी, ड्रोन से जुड़े खतरों और सीमावर्ती इलाकों में बेरोकटोक आबादी में बदलाव को रोकना है। साथ ही, देश भर में कई जगहों पर 'स्मार्ट बॉर्डर' पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है।

यह सब सीमा सुरक्षा बलों के जवानों के साहस की वजह से ही मुमकिन हो पाता है, क्योंकि वे देश की सबसे मुश्किल सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं। वे ऐसे हालात में काम करते हैं, जिनकी कल्पना भी कम ही लोग कर सकते हैं। ये कश्मीर की बर्फीली ऊंचाइयों पर माइनस 45 डिग्री तक के तापमान से लेकर कच्छ और राजस्थान के रेगिस्तान में 45 डिग्री से अधिक तापमान तक जुटे रहते हैं। इसी शांत और अटूट समर्पण ने सीमा सुरक्षा बलों को देश की 'रक्षा की पहली पंक्ति' के तौर पर पहचान दिलाई है, जो भारत की सीमाओं और नागरिकों को सुरक्षित रखती है।

भारत की सीमाओं पर हमेशा चौकस महिला-पुरुषों की आवश्यकता होगी जो पहरा दे सकें। लेकिन अब उनके साथ-साथ चुपचाप काम करने वाले सेंसर, अलार्म और इंटीग्रेटेड सिस्टम की भी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। जैसे-जैसे ये तकनीकें देश की सीमाओं पर फैल रही हैं,वैसे वैसे भारत तेजी से एक ऐसे सुरक्षा ढांचे की ओर बढ़ रहा है जो आधुनिक और कई स्तरों वाला है और जिसे भेदना मुश्किल है।■



इंदौर स्थित आर्मी वॉर कॉलेज, महू में 25 जुलाई, 2026 को सीआईएसएफ यूनिट एएसजी इंदौर के जवानों के लिए ड्रोन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ड्रोन से जुड़े उभरते सुरक्षा खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जवानों की परिचालन क्षमता और तकनीकी दक्षता को सुदृढ़ करना था। भारतीय सेना और सीआईएसएफ के बीच यह समन्वित पहल आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।



श्री अमरनाथजी यात्रा के दौरान सीआरपीएफ एवं संयुक्त सुरक्षा बलों के जवान दिन-रात मुस्तैदी से तैनात रहकर श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम और अविस्मरणीय यात्रा सुनिश्चित कर रहे हैं।



पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) मुख्यालय में 24 जुलाई, 2026 को नराकास की गतिविधियों के अंतर्गत आयोजित 'कौन बनेगा बीपीआरएंडडी जीनियस' क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने ज्ञान, अध्ययन, जिज्ञासा एवं पुलिसिंग नवाचार से जुड़े प्रश्नों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के विजेताओं को महानिदेशक श्री आलोक मित्तल ने सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया।

भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन

https://bharatkeveer.gov.in

दिशा-निर्देश

- आप सीधे भारत के वीर खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

क्या आप जानते हैं?

प्रश्नः भारत में वर्तमान में कितने पुलिस कमिश्नरेट कार्यरत हैं?

उत्तरः 01 जनवरी 2024 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल 77 पुलिस कमिश्नरेट कार्यरत हैं।

प्रश्नः भारत में सबसे अधिक पुलिस कमिश्नरेट किस राज्य में हैं?

उत्तरः महाराष्ट्र में सबसे अधिक 12 पुलिस कमिश्नरेट हैं। इसके बाद तमिलनाडु और तेलंगाना में 9-9 पुलिस आयुक्तालय कार्यरत हैं।

प्रश्नः भारत के सभी पुलिस आयुक्तालयों में सबसे अधिक स्वीकृत जनशक्ति किस पुलिस कमिश्नरेट की है?

उत्तरः दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट के पास सबसे अधिक 83,472 स्वीकृत पद हैं, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा पुलिस कमिश्नरेट है।

नोटः लेख की जानकारी विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों और सरकारी आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित है।
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व इम्प्रेसन्स प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, नोएडा द्वारा मुद्रित



"विकसित गांव विकसित भारत की आधारशिला है। विकसित भारत के निर्माण की यात्रा लगातार चल रही है और इसमें आप सभी युवा साथियों की बड़ी भूमिका है। इसलिए जब देश का युवा जमीन से जुड़ता है तो वह विकसित भारत के विजन को और व्यापक बनाता है।"

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर
नई दिल्ली-110037

BPRDIndia indiabprd officialBPRDIndia https://bprd.nic.in